(ख) मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(I) कच्चे तेल पर 20 प्रतिशत की रायल्टी (II) बिक्री कर की हानि के लिए प्रतिपूर्ति (III) पिछली हानियों की प्रतिपूर्ति (IV) रायल्टी में तीन वर्षों के बदले एक वर्ष अथवा दो वर्षों के बाद पुनरीक्षण करना आदि ।

(ग) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1984 इस उद्देश्य से पारित किया गया है ताकि सरकार 3 वर्षों के बाद अर्थात् 1.4.1985 के स्थान पर 1.4.1984 रायल्टी में संशोधन कर सके । सरकार द्वारा रायल्टी दर में संशोधन की प्रक्रिया भी आरम्भ की गई है और निर्णय यथा शीघ्र लिया जाएगा ।

मृत्यु होने और अपंग हो जाने की स्थिति में श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि

3909. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कार्य करते हुए मर जाने अथवा अपंग हो जाने वाले श्रमिकों के परिवारों को क्रमश: 20,000 रुपये और 21,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया है ;

(ख) सरकार उन असंगठित श्रमिकों तथा ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान किस प्रकार करेगी ;

(ग) क्या उनके लिए इस संबंध में कोई कानून बनाया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां । मृत्यु हो जाने की दशा में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन देय मुआवजे की न्यूनतम राशि 20,000/-रुपये निर्धारित की गई है, जब कि विकलांग हो जाने की दशा में मुआवजे की राशि 24,000/-रुपये निर्धारित की गई है ।

(ख) से (ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट कुछ जोखिमपूर्ण रोजगारों में नियोजित कर्मकारों) जिनमें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकार भी शामिल हैं) को काम पर चोट लग जाने की वजह से विकलांगता या मृत्यु हो जाने की दशा में, उक्त अधिनियम के अधीन मुआवजे की अदायगी करने की पहले ही व्यवस्था है । अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे किसी अन्य जोखिमपूर्ण व्यवसाय को उक्त अनुसूची में जोड़ सकते हैं । अधिनियम के अधीन मुआवजा अदा करने का उत्तरदायित्व नियोजक का है ।

Installation of T.V. Relay Station at Coimbatore

3910. SHRI ERA MOHAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the progress made in the installation of T.V. Relay Station at Coimbatore;

(b) the time by which it is likely to be completed and Coimbatore hooked to the national telecast programme; and

(c) the names of places in Tamil Nadu where the work in this connection has started but not yet completed and by what time they will be brought in national TV map ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT) : (a) Construction of building for TV Relay Centre, Coimbatore is nearing completion and part of the equipment has been received at site.

(b) It is expected to be completed and commissioned by October this year.

(c) Installation of low power transmitters at Coimbatore, Kumbakonam and Neyveli is in progress and the centres are expected to be commissioned by October,'84.

Theft of Instruments and Equipment from Allahabad A.I.R.

3911. SHRI B.D. SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whethere it is a fact that several instruments and equipment were stolen from Allahabad station of All India Radio during the year 1982-83;

(b) whether it is also a fact that there is mismanagement at this station due to mutual differences among the officers;

(c) whether it is also a fact that Government had appointed an equiry committee to go into all these things last year ;

(d) whether this enquiry committee has submitted its report to Government and if so, the main findings thereof; and

(e) whether Government have taken any action against the concerned officers so far and if so, details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) 11 morots from old and unserviceable tape-decks were found to have been stolen. This was in May, 1982.

(b) No, Sir.

(c) to (e) A Police complaint was lodged. The report from the Police authority is still awaited. Taking action against these culpable would arise on the basis of such a report.

Meanwhilet a departmental enquiry was conducted and the corrective measures/procedures recommended by the Inquiry Officer have also been adopted.

देश में श्रमिक न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण

3912. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31.7.1984 को श्रमिक न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी थीं ;

(ख) देश में उपरोक्त तारीख को श्रमिक संघों और प्रबंधकों के बीच कितने औद्योगिक श्रम-विवाद लम्बित पड़े थे ;

(ग) उनमें से कितने मामले दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ;

(घ) कितने मामले 3 वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े है ; और

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों की संख्या दस है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 191 श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण और 6 औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1984 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार